(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 11/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई, 2018

सा.का.नि........ (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 676 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा :-

सारणी

क्र.सं.	**टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय**	**माल का विवरण**	**माल का आपूर्तिकर्ता**	**माल का प्राप्तकर्ता**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
7.	कोई भी अध्याय	प्रायर्टी सेक्टर लेडिंग सर्टीफिकेट	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति

(फाइल संख्या 354/124/2018-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 676 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि 1389 (अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।